संख्या-123/2021/1000/22-2-2021-17(548)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2021*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा उर्फ वरूणेश पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-02.03.2021) दिनांक-15.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा उर्फ वरूणेश पुत्र श्री मनीराम, पालीखुर्द, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का निवासी है। बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राय होकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेन्सी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2006 में भा0द0वि0 धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, इटावा के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या-166/2004 में भा0द0वि0 धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, इटावा के आदेश दिनांक 05.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या-162/2012 में भा0द0वि0 धारा-3(1) यू0पी0जी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-02, इटावा के आदेश दिनांक 08.06.2016 द्वारा 02 वर्ष के कारावास अर्थदण्ड रू0-5,000/- से दण्डित किया गया। (4) सत्र परीक्षण संख्या-970/2014 में भा0द0वि0 धारा-332, 353, 323 व 18/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा अर्थदण्ड रू0-1,750/- से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 14 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 00 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी का कारागार परिसर में आचरण असंतोषजनक अंकित है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने के अवसर से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा काटी गयी सजा कारित अपराध की तुलना में पर्याप्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्णरूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी की आर्थिक, सामाजिक स्थिति उसकी समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें की रंजिश में 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश की हत्या एवं दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेन्सी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या सहित कुल 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की 08 बिन्दुओं की आख्या में छोड़े जाने पर फरार होने की प्रबल सम्भावना होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भूरा उर्फ वरूणेश पुत्र श्री मनीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा उर्फ वरूणेश (बंदी सं0-27252)पुत्र श्री मनीराम, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर रिहाई श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-123/2021/1000(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-123/2021/1000/22-2-2021-17(548)/2021

दिनांक 29 जुलाई, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा उर्फ वरूणेश पुत्र श्री मनीराम, पालीखुर्द, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का निवासी है। बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें में राजीनामा की बात पर सहमत न होने पर 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राय होकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेन्सी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2006 में भा0द0वि0 धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, इटावा के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या-166/2004 में भा0द0वि0 धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, इटावा के आदेश दिनांक 05.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या-162/2012 में भा0द0वि0 धारा-3(1) यू0पी0जी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-02, इटावा के आदेश दिनांक 08.06.2016 द्वारा 02 वर्ष के कारावास अर्थदण्ड रू0-5,000/- से दण्डित किया गया। (4) सत्र परीक्षण संख्या-970/2014 में भा0द0वि0 धारा-332, 353, 323 व 18/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा अर्थदण्ड रू0-1,750/- से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 14 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 00 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी का कारागार परिसर में आचरण असंतोषजनक अंकित है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने के अवसर से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा काटी गयी सजा कारित अपराध की तुलना में पर्याप्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्णरूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी की आर्थिक, सामाजिक स्थिति उसकी समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 23.09.2005 को पुराने मुकदमें की रंजिश में 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र से कु0 शीला व रामप्रकाश की हत्या एवं दिनांक 25.03.2004 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में लाइसेन्सी बन्दूक, कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या सहित कुल 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की 08 बिन्दुओं की आख्या में छोड़े जाने पर फरार होने की प्रबल सम्भावना होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भूरा उर्फ वरूणेश पुत्र श्री मनीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।